<u>न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित–।। अम्बेडकरनगर।</u>

सिविल निगरानी सं0–01/2019
सी.एन.आर.नं0–यूपीएएन 010000662019
विनय कुमार सिंह–बनाम–फूलचन्द आदि

<u>28.01.2020</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर पक्षकार अधिवक्ता उपस्थित।

प्रार्थनापत्र 11क पर सुना गया।

प्रार्थनापत्र 11क अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 व आदेश 6 नियम–17 जा0दी0 निगरानीकर्ता द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी सं0–11 जामवन्ती की मृत्यु दिनांक–29.02.2016को हो गयी है। उसके कायम मुकाम उसके लड़के अनिल सिंह व प्रदीप सिंह है जो पहले से पक्षकार बतौर विप्खीसं0–9 व 10 हैं। इनके अलावा मृतक का अन्य कोई कायम मुकाम नहीं है। अतः निगरानी में संशोधन करने की अनुमति प्रदान की जाय।

विपक्षी की तरफ से कोई आपत्ति नहीं की गयी है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। निगरानीकर्ता द्वारा विपक्षी सं0–11 जामवन्ती की मृत्यु के सापेक्ष निगरानी में संशोधन चाहा गया है। यह भी कथन किया है कि वारिसान पहले से ही पक्षकार मुकदमा है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वाद के न्याय निर्णयन हेतु न्यायहित में प्रार्थनापत्र स्वीका किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 11क स्वीकार किया जाता है। संशोधन अन्दर सप्ताह किया जाय, तथा निगरानीकर्ता प्रार्थनापत्र 9क के वारिसानों को नोटिस की पैरवी अन्दर सप्ताह करें। पत्रावली दिनांक–17.02.2020 को निस्तारण हेतु पेश हो।

अपर जिला जज,त्वरित द्वितीय
अम्बेडकरनगर

<u>दिनांक–28.01.2020</u>